

की नियुक्ति/रद्द/निलम्बण/सेवा सम्बन्धित/दण्ड व्यवस्था अनुमत्य नहीं है, अर्थात्
निकलेंगे।

- 18] विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ही छात्रों में वसूल किया जाय तब ही इन्हें
एवं समस्त अन्य किसी प्रो. एड. ऑफिस पर अनुसूचित कम में मदवार हारा लगे हुए
नियमित रूप से काम करने के बाद ही नियमानुसार संकेचित मद में ही वसूल किया
जाय। के. ई. व्यय संकेत कार्यानुमत्य नहीं है। विस्तारित नियमों का केंद्र पर
से अनुपालन नियमों का अनुमत्य नहीं है।
- 9] विद्यार्थियों के सुव्यवस्था हेतु पर्याप्त वि. त्तीय एवं भौतिक संसाधनों की समुचित
व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- 10] विभाग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत/पर्यवेक्षण/प्रमाणपत्रों ही संवर्धित की जाय
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी की पूर्ण अनुमति के बिना के. ई. अतिरिक्त अनु. भण्ड
संश्लेषित न किया जाय। सामान्यतः कक्षा 1 से 5 तक एक अनु. भण्ड अनुमत्य है।
विद्यार्थियों के अनुसार प्रो. एड. सहित परीक्षा/प्रश्न पत्र/अध्ययनक अनुमत्य है। विद्यार्थियों परी.
एवं भाषणों में के. ई. अन्य अनु. विद्यार्थियों/कक्षा/अनु. भण्ड कदापि संश्लेषित न किया
जाय।
- 12] विद्यार्थियों का निरीक्षण/अवेक्षण शिक्षण वि. भण्ड के अधिकारियों द्वारा
कभी नहीं किया जा सकेगा और अधिकृत अधिकारियों/सुव्यवस्था/अधिकृत
की जा सकेगी।
- 13] संस्थाधिकारियों के विभागीय आदेश/निर्देश एवं वि. त्तीय नियमों का
तत्परता से अनुपालन करना होगा।
- 14] अस्थायी मान्यता प्राप्त वार ता न वर्ष/शिक्षण/सत्र के लिए प्राप्त होने के
पश्चात् वर्तमान नियमानुसार संस्थाधिकारियों के आवेदनपत्रों पर अस्थायी
मान्यता का नवीनीकरण एक 2 वर्षों के लिए प्रो. एड. के. ई. एक नवीनीकरण
किया जायेगा। इस अवधि में कुल पांच वर्षों में अस्थायी मान्यता न प्राप्त
होने पर मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 15] शिक्षा संहिता/उ. ए. सी. शिक्षा अधिनियम एवं भा. ए. 2 पर विभाग द्वारा
सिद्ध आदेश/निर्देश तब मान्यता से नवीनीकरण/शर्त का अनुपालन/अनु.
अनुसरण करना संस्थाधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा। मानकानुसार स. भण्ड
शर्तों/प्रतिबंधों की पूर्ति के उपरान्त ही संस्थायी मान्यता हेतु विद्यार्थियों
उपयुक्त माना जायगा।

संलग्नक नवीन मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों की सूची...
महर्षि विद्या मन्दिर प्रा. 0 वि. 0 योगीबीर अहिमाने...
द्वेपुर - सुल्तानपुर।

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी
सुल्तानपुर

प्रतिनिधि संत जनक सहित निम्न लिखित के सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई
पृ. 0 सं. 0 आ. ए. 0/मान्यता/प्र. 0/6055-7008 18 तारीख 1/1/98

- हेतु प्रेषित-
- 1] शिक्षण निदेशक बेसिक उ. ए. सी., लखनऊ
- 2] सचिव, उ. ए. सी. बेसिक शिक्षण परिषद, इलाहाबाद
- 3] सहायक शिक्षण निदेशक बेसिक नवम् गण्डल, फौजबाद
- 4] उ. ए. सी. सहायक बेसिक शिक्षण अधिकारी प्रति उ. ए. विद्यार्थियों निरीक्षण/अनु. शिक्षण
अधिकारी जनाद सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र द्वारा मान्यता
प्राप्त विद्यार्थियों के मानकानुसार मान्यता की शर्तों की पूर्ति करके विन्तुवार
प्रति अ. ए. एवं संस्तुति सहित इस कार्यालय को 30-6-1998 के पूर्व अवश्य प्रस्तुत
किया जाय। इसके अतिरिक्त शेष अस्थायी मान्यता के नवीनीकरण के आवेदनपत्र
1971-98 हेतु 15-5-98 तक अवश्य इस कार्यालय को अ. ए. सी./संस्तुति सहित उपलब्ध/प्र.
प्राप्त कराया जाय अन्यथा समस्त इ. ए. सी. त्व संस्थाधिकारियों को नवीनीकरण/शर्त का अनुपालन/अनु.
कारियों का होगा। इसके बावजूद आवेदनपत्र/प्रकरण प्रस्तुत नहीं होगा।
- 5] जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर/अन्य संकेचित अधिकारियों/कार्यालय
संलग्नक-उक्तवत्

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी
सुल्तानपुर

6055700/98599